(6)

कार्यालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

क्रमांक / पंजीयन / 2007 / 3167 रायपुर दिनांक 11 जून 2007

प्रति,

समस्त,
संयुक्त / उप / सहायक पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं;
छत्तीसगढ़।

विषय :– विकासखण्ड स्तर पर नवीन विपणन सहकारी संस्थाओं के गठन के संबंध में मापदण्ड बाबत्।

संदर्भ :– आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं म0प्र0 भोपाल के परिपत्र कमांक विप. / 90 / 3719 दिनांक 29 / 11 / 90.

– – 00 – –

विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्र द्वारा जारी निर्देशों में आंशिक संशोधन करते हुए नवीन विपणन सहकारी संस्थाओं के गठन के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है जिससे विपणन सहकारी समितियों के गठन की कार्यवाही में अनावश्यक विलंब न हो :–

1. प्रस्तावित संस्था की उपविधि मुख्यालय द्वारा जारी आदर्श उपविधि के अनुरूप ही होनी चाहिए, जिसमें समय–समय पर मुख्यालय द्वारा जारी किये गए संशोधनों का भी पूर्ण रूप से समावेश कर लिया जावे। नवीन संस्था के लिए 100 सदस्यों का होना अनिवार्य होगा तथा 01 वर्ष के भीतर 250 सदस्य बनाये जावेंगे।
2. एक अंश की राशि कम से कम 100 / – रू. होनी चाहिए।
3. प्रस्तावित संस्था की अंशपूंजी पंजीयन दिनांक को कम से कम 10,000 / – (रू. दस हजार मात्र) होने चाहिए।
4. प्रस्तावित संस्था का कार्यक्षेत्र न्यूनतम विकासखण्ड स्तर तक सीमित होना चाहिए।
5. आवागमन के साधन समिति का मुख्यालय पक्की सड़क पर स्थित होना चाहिए।
6. आदिवासी क्षेत्र में कृषि मण्डी अथवा उप मण्डी होना आवश्यक नहीं होगा।
7. प्रस्तावित संस्था का कार्य व्यवसाय पंजीयन के पश्चात कम से कम रू. 10,00,000 / – (रू. दस लाख मात्र) किये जाने की क्षमता होनी चाहिए।

8. प्रस्तावित संस्था का कार्यालय भवन, गोदाम भवन के लिए शासकीय भूमि का चयन एक वर्ष के भीतर तक उचित माध्यम से मांग कर स्वीकृत प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

9. प्रस्तावित संस्था के गठन के पश्चात विपणन सहकारी संस्था के कार्यक्षेत्र में आने वाले सेवा सहकारी समिति/वृहत्तकार एवं आदिम जाति सहकारी समितियों को सदस्यता दिया जाना चाहिए।

10. प्रस्तावित संस्था के मुख्यालय में राज्य विपणन संघ का खाद संग्रहण केन्द्र तथा जिला सहकारी बैंक की शाखा/थाना, ग्राम पंचायत अथवा नगर पंचायत होना चाहिए।

11. राज्य सहकारी विपणन संघ अथवा नागरिक आपूर्ति निगम के प्रतिनिधि के रूप में धान खरीदी अथवा पी0डी0एस0 का कार्य या लीड का कार्य करने के लिए पंजीयन के पश्चात सक्षम होना चाहिए। इसके साथ ही खाद व्यवसाय कृषि आदान का कार्य किये जाने हेतु सक्षम होना चाहिए।

उपरोक्त मापदण्ड का कड़ाई से पालन करते हुए प्रस्तावित संस्थाओं के पंजीयन की कार्यवाही की जावे।

पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़